भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *131
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मामले

†*131. श्री के.सी. वेणुगोपालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत केरल सहित राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में दोषसिद्धि की दर का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम में संशोधन करने की योजना है ताकि देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131, दिनांक 29/07/2025

"स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मामले" के संबंध में दिनांक 29.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या (सीआर) और दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), केरल राज्य सहित राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग): भारत सरकार ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) की अवैध तस्करी को रोकने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की विधि प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास में उन्हें वित्तपोषित करने हेतु दिनांक 24.10.2004 को "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वापक नियंत्रण हेतु सहायता" नामक एक योजना शुरू की थी। इस योजना का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। तब से, यह योजना अभी तक जारी है। इस योजना को, 50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए योजना के तहत जारी की गई धनराशि रू.10.85 करोड़ है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को भी लागू करता है जिसके तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए एनएपीडीडीआर के लिए आवंटित धनराशि 965 करोड़ रुपये है और जारी की गई धनराशि 777.19 करोड़ रुपये है।

राजस्व विभाग ने स्वापक औषधियों की अवैध तस्करी की समस्या से निपटने, व्यसनियों का इलाज करने और जनता को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने आदि से जुड़ी लागतों को वहन करने के लिए "राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण कोष" की स्थापना की है। इस योजना के तहत, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक जारी की गई धनराशि रू.2.58 करोड़ है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131, दिनांक 29/07/2025

(घ): पिछले पाँच वर्षों में, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत 14 पदार्थों को स्वापक औषधियों के रूप में और 29 पदार्थों को मन:प्रभावी पदार्थों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत नियंत्रित पदार्थ विनियमन आदेश, 2013 के माध्यम से 28 प्रीकर्सर रसायनों को नियंत्रित पदार्थों के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। ऐसे नए मनो-सक्रिय (साइकोएक्टिव) पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत लाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं और विनियमन के अंतर्गत स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और प्रीकर्सर रसायनों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए पदार्थों की सीमा और दायरा को व्यापक किया गया है।

****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *131, दिनांक 29.07.2025

अनुलग्नक-I

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों (सीआर) और दोषसिद्धि की दर (सीवीआर) की केरल राज्य सहित राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष-वार					
		2020		2021		2022	
		सीआर	सीवीआर	सीआर	सीवीआर	सीआर	सीवीआर
1	आंध्र प्रदेश	866	12.7	1635	25.4	1391	6.1
2	अरुणाचल प्रदेश	132	0.0	264	16.7	306	20.8
3	असम	983	6.8	2291	7.5	2902	29.5
4	बिहार	964	76.9	1469	84.6	1823	81.2
5	छत्तीसगढ़	875	70.0	1123	63.0	1155	59.7
6	गोवा	147	29.6	121	51.9	153	62.5
7	गुजरात	308	44.4	461	33.3	508	25.0
8	हरियाणा	3060	44.1	2741	57.0	3815	49.0
9	हिमाचल प्रदेश	1538	30.6	1537	31.0	1516	38.4
10	झारखंड	415	45.6	609	65.4	464	48.6
11	कर्नाटक	4054	90.3	5787	93.0	6399	89.9
12	केरल	4968	97.1	5695	98.9	26619	99.4
13	मध्य प्रदेश	3155	81.1	4068	86.6	4811	81.4
14	महाराष्ट्र	4714	94.6	10087	61.0	13830	71.1
15	मणिपुर	304	56.3	354	18.5	518	58.8
16	मेघालय	76	81.3	69	64.3	116	61.1
17	मिजोरम	97	100.0	122	96.4	245	95.8
18	नागालैंड	115	97.4	154	94.9	242	58.7
19	ओडिशा	1179	3.0	1642	25.7	1891	8.8
20	पंजाब	6909	67.2	9972	77.9	12442	79.2
21	राजस्थान	2743	75.6	2989	72.7	3821	75.8
22	सिक्किम	19	66.7	52	0.0	41	0.0
23	तमिलनाडु	5403	78.2	6852	82.9	10385	81.3
24	तेलंगाना	509	23.8	1346	25.6	1279	27.4
25	त्रिपुरा	307	11.1	357	10.5	562	11.7
26	उत्तर प्रदेश	10852	86.1	10432	85.4	11541	83.3
27	उत्तराखंड	1282	81.6	1762	77.9	1440	76.1
28	पश्चिम बंगाल	1626	7.8	1890	2.9	1608	27.2
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55	92.3	28	54.2	52	28.1
30	चंडीगढ़	134	67.1	89	75.6	182	83.1
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	5	-	6	66.7	11	0.0
32	दिल्ली	748	55.6	566	65.5	1179	70.0
33	जम्मू और कश्मीर	1222	15.7	1681	41.3	1837	41.3
34	लद्दाख	2	-	5	-	8	100.0
35	लक्षद्वीप	4	-	3	-	3	100.0
36	पुडुचेरी	36	-	72	-	141	100.0

स्रोत : एनसीआरबी

******